

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

मिनी सचिवालय, बनीपार्क, जयपुर

क्रमांक: प.1(16)(1)अधि./संस्था./2021/

दिनांक:

कार्यालय आदेश

कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 10.08.2023 के द्वारा अधिकरण की जोधपुर में स्थाई पीठ के गठन के पश्चात् जयपुर एवं जोधपुर पीठ के क्षेत्राधिकार को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है।

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर	राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जोधपुर बैंच
जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा एवं सीकर संभाग के समस्त जिले।	जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, पाली एवं बांसवाड़ा संभाग के समस्त जिले।

अतः अधिकरण की जयपुर एवं जोधपुर बैंच के समक्ष प्रस्तुत होने वाली नई अपीलों/पत्रावलियों में उक्त क्षेत्राधिकार की पालना सुनिश्चित की जाए एवं संबंधित क्षेत्र की पुरानी अपीलों/पत्रावलियों में भी सुनवाई हेतु उक्त क्षेत्राधिकार की पालना सुनिश्चित की जाए।

20

रजिस्ट्रार

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण,
जयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

क्रमांक: प.1(16)(1)अधि./संस्था./2021/ 8168-79

दिनांक: 12/9/23

1. निजी सचिव, अध्यक्ष महोदय।
2. समस्त निजी सहायक, नाननीय सदस्यगण।
3. स्थायी राजकीय अधिवक्ता/अतिरिक्त स्थायी राजकीय अधिवक्ता/समस्त पैनल लॉयर, जयपुर एवं जोधपुर।
4. अध्यक्ष, बार एसोसिएशन, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर एवं जोधपुर।
5. सहायक रजिस्ट्रार/आतारिक्त प्रशासनिक अधिकारी।
6. रीडर/सहायक रीडर।
7. अपील शाखा।
8. बैंच शाखा।
9. नोटिस बोर्ड, जयपुर एवं जोधपुर कार्यालय।
10. प्रोग्रामर, अधिकरण की वेबसाइट पर प्रकाशित करने बाबत।
11. सूचना सहायक।
12. रक्षित पत्रावली।



रजिस्ट्रार

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण,
जयपुर